

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 67/2020

दायर दिनांक: 06.10.2020

उनवान

1. भागूबाई पत्नि प्रभूलाल जाति बागरी नि. हनोटिया कोटडी तहसील
पिडावा

- वादी

बनाम

1. कुशालबाई पत्नि ब्रदीलाल जाति बागरी नि. हनोटिया कोटडी तहसील
पिडावा

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति -

वकील वादीगण - श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादी सं. 1 - एकतरफा

निर्णय

दिनांक : 14.02.2025

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वाके ग्राम सारगांखेडा पटवार हल्का रमायदलपत तहसील पिडावा जिला झालावाड राज. मे खाता संख्या 223 जमाबंदी सम्वंत 2075 से 2078 अनुसार के खसरा नम्बर 2 रकबा 0.3667 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 28/891 रकबा 0.2529 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6196 हेक्टेयर आराजी है जो विवादग्रस्त आराजी के सम्बोधित से वाद में की जा रही है। यह कि वादीया ने ग्राम सारगांखेडा की आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा खसरा नम्बर-28/891 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा आराजी खातेदार माधुलाल, दरयावलाल, मीनाबाई पिसरान भगवान जाति बलाई निवासी सारगांखेडा से दिनांक 27.11.2007 को रजिस्टर्ड बयनामा से 50,000/- रुपये मुल्य विक्रेताओ को देकर खरीद की है। लेकिन वादीया के पक्ष में नामान्तरण संख्या 569 ग्राम पचायत द्वारा तस्दीक किया गया जिसमे 1/2




उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज.)



हिस्से से नामान्तरण तस्दीक हो जाने से वादीया के नाम से आराजी राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्से से ही दर्ज हो गई हैं जबकि वादीया ने उपरोक्त आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा खरीद किया था और खरीद शुद्ध आराजी पर खरीद की दिनांक से ही कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। यह कि वादीया के द्वारा खरीद कि गई आराजी में से 1/2 हिस्सा भागूवाई पत्नि प्रभुलाल बागरी के नाम नामान्तरण संख्या 569 से दर्ज हो गई है। जो कि अवैध है क्योंकि वादीया द्वारा खरीद की गई सम्पूर्ण आराजी का नामान्तरण तस्दीक होना चाहीये था जो राजस्व कर्मचारीयों एवं ग्राम पचायत रमायदलपत की गलती से दर्ज नहीं होकर 1/2 हिस्सा ही दर्ज हुआ है। इसलिए वादीया के यह वाद माननीय न्यायालय में पेश करना पड रहा है। यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में किया गया बयनामा वादीया के प्रति आरम्भ से ही शुन्य एवं अवैध है प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष मे किया गया बयनामा का वादीया के बयनामे से प्रभावित है प्रतिवादी 1 का बयनामा शुन्य अवैध होने से वादीया उसका नाम खाते मे से डीलीट करवा कर वादीया के पक्ष में तस्दीक हुये बयनामे के आधार पर शेष 1/2 हिस्से की वादीया खातेदार टीनेन्ट घोषित होने की अधिकारी है क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में हुये बाद के बयनामे से वादिया का हक समाप्त नही हो सकता है। यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते में गलत तरीके से विवाद ग्रस्त आराजी दर्ज हुई है। और वह इसका नाजायज फायदा उठा कर विवाद ग्रस्त आराजी को रहन बैचान हस्तान्तरण कर सकती है। इसलिए वादीया इसके विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। यह कि वाद कारण दिनांक 18.08.2020 को उस समय उत्पन्न हुआ जब वादीया ने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की ओर उसके 1/2 हिस्से मे प्रतिवादी का नाम दर्ज पाया तो वाद कारण उत्पन्न हुआ क्योंकि वादीया अनपढ महिला होने से उसे राजस्व रिकार्ड की कोई जानकारी दिनांक 18.08.2020 से पूर्व नही थी। यह कि वाद वादीया माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणधिकार का होने से माननीय न्यायालय मे पेश है। यह कि वाद वादीया अवधि मध्य पेश है। क्याकि वादीया को दिनांक 18.08.2020 से पूर्व इस 1/2 हिस्से के प्रतिवादीया के नाम चले जाने का कोई ज्ञान नही था राजस्व रिकार्ड प्राप्त करने के बाद ही इसकी जानकारी हुई है। यह कि वाद वादीया उचित कोर्ट




 उपखण्ड अधिकारी
 पिठावा, जिला राजस्थान (राज०)

फीस पर पेश है। अतः वाद वादीया पेश कर निवेदन है कि वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर बाहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशाय की डिकी पारित की जावे -

- (अ) वादीया को ग्राम सारगांखेडा खाता संख्या 223 (जमाबंदी सम्वत 2075 से 2076 अनुसार) के खसरा नम्बर 2 रकबा 0.3667 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 28/891 रकबा 0.2529 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6196 हेक्टेयर की आराजी मे से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम कम किया जाकर उसके 1/2 हिस्से पर खातेदार टीनेन्ट बयनामा दिनांक 27.11.2007 के आधार पर घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावें।
- (ब) प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की वे ग्राम सारगांखेडा खाता संख्या 223 जमाबंदी सम्वत 2075 से 2076 अनुसार के खसरा नम्बर 2 रकबा 0.3667 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 28/891 रकबा 0.2529 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6196 हेक्टेयर की आराजी के 1/2 हिस्से को रहन व हस्तान्तरण नही करे एवं वादीया के कब्जे काश्त में कोई दखल नहीं करे ना ही ऐसा किसी अन्य से करावे
- (स) अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीया के पक्ष में हो दिलाई जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री रमीज रजा कुरेशी द्वारा वकालातनामा पेश किया परन्तु प्रतिवादी सं. 1 व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से दिनांक 26.11.2024 की आदेशिका मुताबिक उनके विरुद्ध एकरतफा कार्यवाही की गई।

3. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में वादी भागूबाई का आधारकार्ड, ग्राम सारंगाखेडा के खाता सं. 223 की जमाबंदी सं. 2075-78 की प्रमाणित प्रति, नामा.सं. 569 दिनांक 13.01.2008 एवं नामा.सं. 591 दिनांक 23.01.2009 की प्रमाणित प्रति, रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 27.11.2007 की असल व छायाप्रति, रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 17.12.2008 की प्रमाणित व छायाप्रति, ग्राम सारंगाखेडा के खाता सं. 223 की जमाबंदी सं. 2075-78 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1 से 6 प्रस्तुत की तथा न्यायिक



(Handwritten signature)

उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला साबरमती (राज.ग.)

(8)

दृष्टांत भूरीबाई बनाम शंभूलाल आर.आर.टी. 2021(2) पेज नं. 1128 प्रस्तुत की। मौखिक साक्ष्य में वादी भागूबाई पीडब्ल्यू 1 के बयान कराये।

4. अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सारंगाखेडा पटवार हल्का रमायदलपत स्थित आराजी ख.नं. 2 रकबा 1-09 बीघा व ख.नं. 28/891 रकबा 1-00 बीघा कुल किता 2 रकबा 2-09 बीघा मूल खातेदार भग्गा पि. रामा जाति बलाई के खाते दर्ज रिकार्ड थी जो जरिये फोती नामा.सं. 558 दिनांक 06.02.2007 से उनके वारीसान माधूलाल, दरयावलाल व मीनाबाई के खाते दर्ज रिकार्ड हुई थी। उक्त खातेदारान द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2007 पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 137 के पृष्ठ सं. 128 पर क्रम संख्या 2007001467 पर पंजीकृत बेचान वादीया भागूबाई पत्नि प्रभूलाल बागरी को कर कब्जा सौंप दिया था और तभी से कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन राजस्व कार्मिकों द्वारा इन्तकाल सं. 569 दिनांक 13.01.2008 खोलते समय नामान्तरण पंजिका के कालम सं. 9 एवं 15 में गलत प्रविष्टि दर्ज करते हुए क्रय क्रिय गये सम्पूर्ण हिस्से के स्थान पर 1/2 भाग का ही इन्तकाल वादी के पक्ष में तस्दीक किया गया जबकि कालम सं. 16 में हल्का पटवारी द्वारा सही अंकन किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा भी राजस्व कार्मिकों द्वारा नामान्तरण पंजिका में की गई गलत प्रविष्टि को बिना विक्रय पत्र देखे स्वीकार कर लिया। ऐसे अवैध एवं प्रभाव शून्य नामान्तरण के कारण वादी की क्रय शुदा सम्पूर्ण आराजी रकबा 2-09 बीघा के स्थान पर केवल 1/2 हिस्सा ही वादीया के खाते दर्ज हुआ और शेष 1/2 हिस्सा विक्रेता खातेदारान के नाम गलत तरीके से यथावत रहा। विक्रेता खातेदारान माधूलाल, दरयावलाल व मीनाबाई द्वारा जमाबंदी में नाम दर्ज होने का अनुचित दुरुपयोग कर षंडयंत्र पूर्वक तरीके से जमाबंदी में दर्ज रहे हिस्सा 1/2 का बेचान प्रतिवादी सं. 1 कुशालबाई पत्नि बद्रीलाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2008 पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 145 के पृष्ठ सं. 145 के क्रम संख्या 2008001446 से कर दिया जो कि प्रारम्भ से ही अवैध एवं प्रभाव शून्य है। जब खातेदारान माधूलाल, दरयावलाल व मीनाबाई

द्वारा ख.नं. 2 व 28/891 की सम्पूर्ण आराजी रकबा 2-09 बीघा का वादी



4
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

को बेचान कर कब्जा सौंप दिया तो उनके स्वामित्व व कब्जे में कोई भी आराजी शेष नहीं बची। अतः रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2007 के आधार पर बोनाफाईड केता व कब्जाधारी वादी को विक्रय पत्र अनुसार ख.नं. 2 व 28/891 की सम्पूर्ण आराजी रकबा 2-09 बीघा पर खातेदार कृपक घोषित किया जावे। यही हमारा/वादी का मुख्य अनुतोष है, अन्य सभी सहायक अनुतोष है।

5. अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया कि जब उनके स्वामित्व व कब्जे में कोई आराजी शेष नहीं बची तो उन्हे जमाबंदी में नाम दर्ज होने मात्र के आधार पर बेचान का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनने विभिन्न निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि जमाबंदी केवल Fiscal Purpose से तैयार की जाती है इससे आराजी के स्वामित्व का निर्धारण नहीं होता है। आगे तर्क किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राज. उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में निर्धारित किया है कि एक बार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि का बेचान किये जाने के बाद तदोपरान्त उसी आराजी के किये गये बेचान प्रारम्भ से ही शून्य व विधि विरुद्ध होने से स्वतः ही खारीज योग्य होते है।

6. अभिभाषक वादी की बहस एकतरफा के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा पेश ग्राम सारंगाखेडा की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी सं. 2075-78 दिनांक 17.08.2020 प्रदर्श 1 के अनुसार ख.नं. 2 रकबा 0.3668 है. एवं ख.नं. 28/891 रकबा 0.2529 है. कुल किता 2 रकबा 0.6196 है. भूमि वादीया व प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा 1/2-1/2 में दर्ज है। वादीया द्वारा पेश ग्राम सारंगाखेडा का नामा.सं. 569 दिनांक 13.01.2008 प्रदर्श 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम सारंगाखेडा का ख.नं. 2 रकबा 1-09 बीघा एवं ख.नं. 28/891 रकबा 1-00 बीघा कुल किता 2 रकबा 2-09 बीघा भग्गा पि. रामा जाति बलाई के खाते दर्ज थी। नामान्तरण पंजिका के मद सं. 7 में अंकित प्रविष्टि के अनुसार वादग्रस्त आराजी जरिये फोती नामा.सं. 558 दिनांक 06.02.2007 से भग्गा के स्थान पर उनके वारीसान माधूलाल, दरयावलाल व मीनाबाई के खाते दर्ज रिकार्ड हुई थी। वादीया द्वारा पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2007 प्रदर्श 4 के




4

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

अनुसार स्पष्ट है कि खातेदारान माधूलाल, दरयावलाल व मीनाबाई ने अपने खाते की आराजी ख.नं. 2 व 28/891 किता 2 रकबा 2-09 बीघा भूमि का बेचान वादीया भागूबाई पत्नि प्रभूलाल बागरी को किया जाकर मौके पर कब्जा सौप दिया गया था। नामा.सं. 569 की पंजिका के कालम सं. 16 की प्रविष्टि के अवलोकन से जाहिर है कि पटवारी हल्का रमायदलपत द्वारा ख. नं. 2 रकबा 1-09 व ख.नं. 28/891 रकबा 1-00 भूमि का बेचान वादीया भागूबाई पत्नि प्रभूलाल को करने का अंकन कर नामान्तरण खोला गया था अर्थात् कालम सं. 16 में वादग्रस्त आराजी के हिस्सा 1/2 का नामान्तरण दर्ज करने या बेचान करने का कही भी अंकन नहीं है जिससे यह जाहिर होता है कि खातेदारान द्वारा सम्पूर्ण रकबे का बेचान किया गया था। नामान्तरण पंजिका के कालम सं. 9 व 15 में पटवारी हल्का द्वारा हिस्सा 1/2 का अंकन किया गया है जिसे भूअभिलेख निरीक्षक खारपाकलां द्वारा बिना किसी जांच के दिनांक 18.12.2007 को प्रमाणित किया गया और दिनांक 13.01.2008 को ग्राम पंचायत रमायदलपत द्वारा भी विक्रय पत्र की जांच किये बिना नामा.सं. 569 दर्ज कर दिया गया जो कि विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत की कोरम द्वारा कही भी यह अंकित नहीं किया गया है कि केता भागूबाई पत्नि प्रभूलाल बागरी के पक्ष में हिस्सा 1/2 का नामान्तरण किस आधार पर तस्दीक किया गया है। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर साबित है कि वादीया द्वारा ग्राम सारंगाखेडा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 2 व 28/891 किता 2 रकबा 2-09 को कय कर कब्जा प्राप्त किया था लेकिन राजस्व कार्मिको एवं ग्राम पंचायत रमायदलपत द्वारा बिना किसी विधिक आधार और दस्तावेजो के सम्पूर्ण रकबे के स्थान पर केवल हिस्सा 1/2 का नामान्तरण वादीया के पक्ष में तस्दीक किया गया जो प्रारम्भ से प्रभावशून्य एवं अवैध है।


7. मद कम 6 में किये गये विवेचन व विश्लेषण से साबित है कि खातेदारान माधूलाल, दरयावलाल व मीनाबाई ने अपने खाते की सम्पूर्ण आराजी ख.नं. 2 व 28/891 किता 2 रकबा 2-09 बीघा भूमि का बेचान वादीया भागूबाई पत्नि प्रभूलाल बागरी को किया जाकर मौके पर कब्जा सौप दिया गया था। अतः उक्त बेचान के बाद वादग्रस्त आराजी में विक्रेता माधूलाल, दरयावलाल व मीनाबाई का कोई कानूनी हक व अधिकार शेष




 उपखण्ड अधिकारी
 पिड़ावा, जिला झालांधर (राज०)

नहीं बचा था। केवल राजस्व कार्मिको एवं ग्राम पंचायत के द्वारा विधि विरुद्ध रूप से गलत नामान्तरण सं. 569 दर्ज किये जाने से जमाबंदी में विक्रेतागण का हिस्सा 1/2 अंकित कर दिया गया। विक्रेतागण द्वारा यह जानते हुए भी उनके द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का बेचान दिनांक 27.11.2007 को किया जा चुका है— तकनिकी रूप से खाते में दर्ज रही 1/2 हिस्से भूमि का पुनः बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2008 से प्रतिवादी सं. 1 को कर दिया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2008 प्रदर्श 5 के अवलोकन से जाहिर है कि विक्रेतागण द्वारा वादग्रस्त आराजी को अपने खाते व कब्जे में दर्शाते हुए सेल डीड तैयार की है। उक्त सेल डीड में वादग्रस्त आराजी हिस्से 1/2 का क्रेता प्रतिवादी सं. 1 कुशालबाई को भौतिक कब्जा दिये जाने का भी अंकन है जो कि गलत है। यह सुस्थापित कानूनी स्थिति है कि किसी खातेदार द्वारा अपने खाते की आराजी का एक बार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा सौंप दिये जाने के बाद किये गये पश्चातवर्ती विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध माने जावेगे। पश्चातवर्ती क्रेता को पश्चातवर्ती विक्रय पत्र के आधार पर उस सम्पत्ति में कोई अधिकार व स्वत्व प्राप्त नहीं होगा। यहां सम्पत्ति के अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 8 का अवलोकन आवश्यक है जो निम्नानुसार है— 8. Operation of transfer.—Unless a different intention is expressed or necessarily implied, a transfer of property passes forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property, and in the legal incidents thereof. Such incidents include, where the property is land, the easements annexed thereto, the rents and profits thereof accruing after the transfer, and all things attached to the earth; and, where the property is machinery attached to the earth, the moveable parts thereof; and, where the property is a house, the easements annexed thereto, the rent thereof accruing after the transfer, and the locks, keys, bars, doors, windows and all other things provided for permanent use therewith; and, where the property is a debt or other actionable claim, the




 उपखण्ड अधिकारी
 पिठाम्बर, जिला इलाहाबाद (राज.)

securities therefor (except where they are also for other debts or claims not transferred to the transferee), but not arrears of interest accrued before the transfer; and, where the property is money or other property yielding income, the interest or income thereof accruing after the transfer takes effect.

8. वादी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत भूरीबाई बनाम शंभूलाल आर.आर.टी. 2021(2) पेज नं. 1128 में माननीय राजस्व मण्डल खण्डपीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88 व 188 पश्चातवर्ती विक्रय पत्र वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा 26.06.2969 को भूमि कय की तथा अपीलांट ने 04.06.1986 को भूमि कय की-पश्चातवर्ती विक्रय पत्र अवैध व शून्य है तथा अपीलांट को पश्चातवर्ती विक्रय विलेख के आधार पर सम्पत्ति में अधिकार व स्वत्व नहीं है- निर्णित वादी के पक्ष में वादी सही डिक्री किया। (पैरा 9, 10, 11)

9. माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा 1992 RRD 651मामले में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है- "Transfer of Property Act- Section 8- In a case in which a person has legally acquired khatedari rights by virtue of a registered sale deed executed in his favour prior to the execution of a subsequent registered sale deed in favour of another person- then despite the fact that entries in the record of rights have been made in favour of the subsequent purchaser the former purchaser is entitled to the relief of being declared as lawful khatedar of the land - The subsequent purchaser acquires no rights or title in the land-1979 RRD, 1 followed"

10. माननीय राजस्व मण्डल ने सम्पतलाल बनाम कलवंतराय 2021 आर. बी.जे. 760 में अभिनिर्धारित किया है कि "राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956- धारा 135-रुपाराम द्वारा दिनांक 04.02.1992 को रजिस्टर्ड विक्रेय पत्र द्वारा भूमि रेस्पोंडेंट कलवंतराय को विक्रय कर दी थी, लेकिन रेस्पोंडेंट के नाम नामान्तरण नहीं हुआ। रुपाराम ने जमीन का वापिस अपीलान्ट को



(Handwritten signature)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

बैचान कर दिया। रुपाराम को रेस्पॉण्डेंट के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने के बाद भूमि को दुबारा बैचने का अधिकार नहीं था। पश्चात्वर्ती विक्रेय पत्र अवैध व शून्य है। नामान्तरण निरस्त किये गये"।

13

11. वादीया ने वाद पत्र के मद सं. 2 में स्वयं स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण हिस्से पर वादीया का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अभिभाषक वादीया ने भी बहस के दौरान सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा काश्त होना स्वीकार है। जब वादीया की भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का मौके पर कोई कब्जा नहीं है तो फिर वादीया के अधिकारों का अतिक्रमण और अपूरनीय क्षति नहीं होना जाहिर होता है। अतः धारा 188 आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यहां धारा 188 आर.टी.एक्ट का प्रावधानों का अवलोकन करना उचित होगा—

188. Injunction against wrongful ejection—


(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction. (2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely- (a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion. (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम सारगांखेडा तहसील पिडावा के खाता संख्या 223 के खसरा नम्बर 2 रकबा 0.3667 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 28/891 रकबा 0.2529 हेक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.6196 हेक्टेयर आराजी के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा

91, 92 ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने

योग्य है।




उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिल्हा शाखा (राज.)

-:क्रियात्मक आदेश:-

उपरोक्त विवेचन व विप्लेषण के आधार पर वादीया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम सारगांखेडा तहसील पिडावा के खाता संख्या 223 जमाबंदी सम्वंत 2075- 2078 के खसरा नम्बर 2 रकबा 0.3667 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 28/891 रकबा 0.2529 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6196 हेक्टेयर भूमि में सहखातेदार कुशालबाई पत्नि बद्रीलाल हि. 1/2 के स्थान पर वादीया भागूबाई को खातेदार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

C. K. Singh
14/2/25

(दिनेश कुमार उपाखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिडावा (राज०)
पिडावा, जिला झालावाड
जिला झालावाड राज०)



डिक्री मुकदमा इबतदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 67/2020

दायर दिनांक: 06.10.2020

उनवान

1. भागूबाई पत्नि प्रभूलाल जाति बागरी नि. हनोतिया कोटडी तहसील
पिडावा

- वादी

बनाम

1. कुशालबाई पत्नि ब्रदीलाल जाति बागरी नि. हनोतिया कोटडी तहसील
पिडावा

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 188, 209 रा.टी.एक्ट


उपस्थिति -

वकील वादीगण - श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादी सं. 1 - एकतरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्नईX..... रुबरू.....X.....
मिनजानित मुदई रुबरूX.....

वादीया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम सारगांखेडा तहसील पिडावा के खाता संख्या 223 जमाबंदी सम्बंत 2075- 2078 के खसरा नम्बर 2 रकबा 0.3667 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 28/891 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.6196 हैक्टेयर भूमि में सहखातेदार कुशालबाई पत्नि ब्रदीलाल हि. 1/2 के स्थान पर वादीया भागूबाई को खातेदार घोषित किया जाता है।


14/12/25
(दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)



निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारह ..
.....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX.....
अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 14.02.2025 को जारी किया
गया।

16

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)



मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिष्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिष्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला उपखण्ड सेजि
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)